

◎所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本
国政府とインド共和国政府との間の条約

(略称) インドとの租税(所得)条約

平成	元年 三月 七日	ニュー・デリーで署名
平成	元年十一月 十日	国会承認
平成	元年十一月二十八日	批准の閣議決定
平成	元年十一月二十九日	東京で批准書交換
平成	元年十二月 四日	公布及び告示
平成	元年十二月二十九日	効力発生

(条約第八号及び外務省告示第六〇一号)

目次

前文	八六七	ページ
第一条 人的範囲	八六七	
第二条 適用される租税	八六七	
第三条 定義	八六八	
第四条 一方の締約国の居住者	八七〇	
第五条 恒久的施設	八七一	
第六条 不動産に係る所得	八七四	
第七条 企業又は恒久的施設の利得	八七五	
インドとの租税(所得)条約	八六三	

第八条	航空機に係る所得	八七六
第九条	特殊関係企業に係る利得	八七八
第十条	配当	八七九
第十一条	利子	八八〇
第十二条	使用料	八八三
第十三条	譲渡収益	八八六
第十四条	自由職業の所得	八八七
第十五条	勤務に対する報酬	八八八
第十六条	役員報酬	八八九
第十七条	芸能人の所得	八八九
第十八条	退職年金	八九〇
第十九条	公務遂行に係る報酬	八九〇
第二十条	学生、事業修習者等への給付金	八九一
第二十一条	教授、教員等の所得	八九二
第二十二条	その他の所得	八九二
第二十三条	二重課税の排除方法	八九三
第二十四条	内国民待遇	八九五
第二十五条	不服申立て及び両国当局間の協議	八九七
第二十六条	情報の交換	八九八
第二十七条	外交官又は領事官の特権との関係	八九九
第二十八条	批准、効力発生及び適用の開始時期	八九九
第二十九条	条約の終了及び適用の終了時期	九〇〇
末文		九〇〇

○インドの経済開発を促進するための特別の奨励措置に関する交換公文

インド側書簡

九〇二

日本側書簡

九〇五

○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約に関する交換公文

日本側書簡

九〇六

インド側書簡

九一一

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約

日本国政府及びインド共和国政府は、

所得に対する租税に関し、二重課税を回避し及び脱税を防止するための新たな条約を締結することを希望して、

次のとおり協定した。

第一条

この条約は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。

第二条

1 この条約の対象である租税は、次のものとする。

- (a) 日本国においては、
 - (i) 所得税
 - (ii) 法人税
 (以下「日本国の租税」という。)
- (b) インドにおいては、

CONVENTION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of Japan and the Government of the Republic of India,

Desiring to conclude a new Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Article 1

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

1. The taxes which are the subject of this Convention are:

- (a) In Japan:
 - (i) the income tax; and
 - (ii) the corporation tax
 (hereinafter referred to as "Japanese tax");
- (b) In India:

所得税（加重税を含む。）

（以下「インドの租税」という。）

2 この条約は、1に掲げる租税に加えて又はこれに代わつてこの条約の署名の日の後に課される租税であつて1に掲げる租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国の権限のある当局は、それぞれの国の税法について行われた実質的な改正を、その改正後の妥当な期間内に、相互に通知する。

第三条

1 この条約の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、

(a) 「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域（領海を含む。）及びその領域の外側に位置する水域で日本国が国際法に基づき管轄権を有し日本国の租税に関する法令が施行されているすべての水域（海底及びその下を含む。）をいう。

(b) 「インド」とは、インドの領域（領海を含む。）その他インドが国際法及びインドの国内法に基づき主権的権利を有する水域をいう。

(c) 「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈によ

the income-tax including any surcharge thereon (hereinafter referred to as "Indian tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, those referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

Article 3

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Japan", when used in a geographical sense, means all the territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which Japan has jurisdiction in accordance with international law and in which the laws relating to Japanese tax are in force;

(b) the term "India" means the territory of India including the territorial sea and any other maritime zone in which India has sovereign rights according to the Indian law and in accordance with international law;

(c) the terms "a Contracting State" and "the

り、日本国又はインドをいう。

(d) 「租税」とは、文脈により、日本国の租税又はインドの租税をいう。

(e) 「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。

(f) 「法人」とは、法人格を有する団体又は租税に關し法人格を有する団体として取り扱われる団体をいう。

(g) 「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。

(h) 「国民」とは、次の者をいう。

(i) 日本国については、

日本国の国籍を有するすべての個人並びに日本国の法令に基づいて設立され又は組織されたすべての法人及び法人格を有しないが日本国の租税に關し日本国の法令に基づいて設立され又は組織された法人として取り扱われるすべての団体

(ii) インドについては、

(aa) インドの国籍を有するすべての個人

(bb) インドにおいて施行されている法令によってその地位を与えられたすべての法人、組合及び団体

(i) 「国際運輸」とは、一方の締約国の企業が運用する船舶

other Contracting State" mean Japan or India, as the context requires;

(d) the term "tax" means Japanese tax or Indian tax, as the context requires;

(e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means:

(i) in respect of Japan:

all individuals possessing the nationality of Japan and all juridical persons created or organized under the laws of Japan and all organizations without juridical personality treated for the purposes of Japanese tax as juridical persons created or organized under the laws of Japan;

(ii) in respect of India:

(aa) all individuals possessing the nationality of India;

(bb) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in India;

(i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by

又は航空機による運送（他方の締約国内の地点の間においてのみ運用される船舶又は航空機による運送を除く。）をいう。

(i) 「権限のある当局」とは、

(i) 日本国については、大蔵大臣又は権限を与えられたその代理者をいう。

(ii) インドについては、中央政府大蔵省蔵入局又は権限を与えられたその代理者をいう。

2 一方の締約国によるこの条約の適用上、この条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令における当該用語の意義を有するものとする。

第四条

1 この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、本店又は主たる事務所の所在地その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受けべきものとされる者をいう。

2 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する者については、両締約国の権限のある当局は、合意により、この条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国を決定する。

an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; and

(j) the term "competent authority" means:

(i) in Japan, the Minister of Finance or his authorized representative;

(ii) in India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or their authorized representative.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which this Convention applies.

Article 4

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this

第五条

- 1 この条約の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であつて企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいう。
- 2 「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
 - (a) 事業の管理の場所
 - (b) 支店
 - (c) 事務所
 - (d) 工場
 - (e) 作業場
 - (f) 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所
 - (g) 保管のための施設を他の者に提供する者に係る倉庫
 - (h) 農業、林業、栽培又はこれらに関連した活動を行う農場、栽培場その他の場所
 - (i) 店舗その他の販売所
- 3 建築工事現場又は建設、据付若しくは組立工事は、六箇月を超える期間存続する場合に限り、「恒久的施設」とする。

Convention.

Article 5

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
 - (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
 - (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
 - (i) a store or other sales outlet; and
 - (j) an installation or structure used for the exploration of natural resources, but only if so used for a period of more than six months.
3. A building site or construction, installation or assembly project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

4 企業が一方の締約国内における建築工事現場又は建設、据付若しくは組立工事に関連して、六箇月を超える期間、当該一方の締約国内において監督活動を行う場合には、当該企業は、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有し、当該「恒久的施設」を通じて事業を行うものとされる。

5 3及び4の規定にかかわらず、企業が一方の締約国内における石油の探査、開発又は採取に関連して、六箇月を超える期間、当該一方の締約国内において役務又は施設を提供する場合には、当該企業は、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有し、当該「恒久的施設」を通じて事業を行うものとされる。

6 1から5までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には、次のことは、含まれないものとする。

- (a) 企業に属する物品又は商品の保管又は展示のためにのみ施設を使用すること。
- (b) 企業に属する物品又は商品の在庫を保管又は展示のためにのみ保有すること。
- (c) 企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
- (d) 企業のために物品若しくは商品を購入し又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。

4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it carries on supervisory activities in that Contracting State for more than six months in connection with a building site or construction, installation or assembly project which is being undertaken in that Contracting State.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4 an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in that Contracting State for more than six months in connection with the exploration, exploitation or extraction of mineral oils in that Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) 企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。

7 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国内において他方の締約国の企業に代わって行動する者(8の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)が次のいずれかの活動を行う場合には、当該企業は、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。

(a) 当該一方の締約国内で、当該企業に代わって契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使すること。ただし、その活動が6に掲げる活動(事業を行う一定の場所で行われたとしても、6の規定により当該一定の場所が「恒久的施設」とされない活動)のみである場合は、この限りでない。

(b) (a)の権限は有しないが、当該一方の締約国内で、物品又は商品の在庫を反復して保有し、かつ、当該在庫により当該企業に代わって物品又は商品を規則的に引き渡すこと。

(c) 当該一方の締約国内で、専ら又は主として当該企業自体のため又は当該企業及び当該企業を支配し、当該企業により支配され若しくは同一の共通の支配下に当該企業と共に置かれている他の企業のため、反復して注文を取得すること。

8 企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて一方の締約国内で事業

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

7. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if

(a) he has and habitually exercises in that Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 6 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph;

(b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

(c) he habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control as that enterprise.

8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that

活動を行っているという理由のみでは、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされない。

9 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内において事業（「恒久的施設」を通じて行われるものであるかないかを問わない。）を行う法人を支配し、又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の「恒久的施設」とはされない。

第六条

1 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 「不動産」の用語は、当該財産が存在する締約国の法令における不動産の意義を有するものとする。不動産には、いかなる場合にも、これに附属する財産、農業又は林業に用いられている家畜類及び設備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取の権利の対価として料金（金額が確定しているかないかを問わない。）を受領する権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない。

3 1の規定は、不動産の直接使用、賃貸その他のすべての形

Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immovable property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to

式による使用から生ずる所得について適用する。

4 1及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得及び独立の人的役務を提供するために使用される不動産から生ずる所得についても、適用する。

第七条

1 一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に直接又は間接に帰せられる部分に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 3の規定に従うことを条件として、一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、当該恒久的施設が、同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を行い、かつ、当該恒久的施設を有する企業と全く独立の立場で取引を行う別個のかつ分離した企業であるとしたならば当該恒久的施設が取得したとみられる利得が、各締約国において当該恒久的施設に帰せられるものとする。

3 恒久的施設の利得を決定するに当たっては、経営費及び一

income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as

般管理費を含む費用で当該恒久的施設のために生じたものは、当該恒久的施設が存在する締約国内において生じたものであるか他の場所において生じたものであるかを問わず、損金に算入することを認められる。

4 2の規定は、恒久的施設に帰せられるべき利得を企業の利得の総額の当該企業の各構成部分への配分によって決定する慣行が一方の締約国にある場合には、租税を課されるべき利得をその慣行とされている配分の方法によって当該一方の締約国が決定することを妨げるものではない。ただし、用いられる配分の方法は、当該配分の方法によって得た結果がこの条に定める原則に適合するようものでなければならぬ。

5 恒久的施設が企業のために物品又は商品の単なる購入を行ったことを理由としては、いかなる利得も、当該恒久的施設に帰せられることはない。

6 1から5までの規定の適用上、恒久的施設に帰せられる利得は、毎年同一の方法によって決定する。ただし、別の方法を用いることにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

7 他の条で別個に取り扱われている種類の所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、この条の規定によって影響されることはない。

第八条

1 一方の締約国の企業が航空機を国際運輸に運用することに

deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

1. Profits from the operation of aircraft in

よつて取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

2 一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用することによつて取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

3 2の規定にかかわらず、この条約が適用される最初の十課税年度又は十「前年度」の期間他方の締約国内において生じた2の利得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。ただし、その租税の額は、当該他方の締約国の税法によれば課されることとなる租税の額の

(a) 最初の「五課税年度又は五「前年度」」に関しては、五十パーセント

(b) 残りの五課税年度又は五「前年度」に関しては、二十五パーセント
を超えないものとする。

4 1から3までの規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによつて取得する利得についても、適用する。

5 この条の規定は、第二条の規定にかかわらず、日本国においては事業税にも、インドにおいては日本国における事業税と類似する税が課される場合にはそのような税にも、適用する。

第九条

インドとの租税（所得）条約

international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.
2. Profits from the operation of ships in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, such profits may be taxed in the other Contracting State from which they are derived during a period of first ten taxable years or "previous years", as the case may be, for which this Convention shall have effect provided that the tax so charged shall not exceed:

(a) during the first five years, 50 per cent,
(b) during the remaining five years, 25 per cent,

of the tax otherwise imposed by the taxation law of that other Contracting State.

4. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, also apply to the enterprise tax in Japan and to any tax similar to the said enterprise tax if and when such a tax is imposed in India.

Article 9

1

(a) 一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加している場合又は若しくは資本に直接若しくは間接に参加している場合又は

(b) 同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加している場合

であつて、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上の関係において、双方の企業の間、独立の企業間に設けられる条件と異なる条件が設けられ又は課されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となつたとみられる利得であつてその条件のために当該一方の企業の利得とならなかつたものに対しては、これを当該一方の企業の利得に算入して租税を課することができる。

2

一方の締約国において租税を課された当該一方の締約国の企業の利得を他方の締約国が当該他方の締約国の企業の利得に算入して租税を課する場合において、両締約国の権限のある当局が、協議の上、その算入された利得の全部又は一部が、双方の企業間に設けられた条件が独立の企業間に設けられたであろう条件であつたとしたならば当該他方の締約国の企業の利得となつたとみられる利得であることに合意するとき、当該一方の締約国は、その合意された利得に対して当該一方の締約国において課された租税の額につき適当な調整を行う。この調整に当たっては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払う。

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and where the competent authorities of the Contracting States agree, upon consultation, that all or part of the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. In

第十条

1 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受領者が当該配当の受益者である場合には、当該配当の額の十五パーセントを超えないものとする。

この2の規定は、配当に充てられる利得についての当該法人に対する課税に影響を及ぼすものではない。

3 この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利（信用に係る債権を除く。）から生ずる所得及びその他の持分から生ずる所得であって分配を行う法人が居住者とされる締約国の税法上株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。

4 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が居住者とされる他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は当該他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合に

determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention.

Article 10

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or

において、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。

5 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国から利得又は所得を取得する場合には、当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生じた利得又は所得から成るときにおいても、当該配当（当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該他方の締約国内にある恒久的施設又は固定的施設と実質的な関連を有するものである場合の配当を除く。）に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を課することができない。

第十一条

1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受領者が当該利子の受益者である場

performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other Contracting State.

Article 11

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall

合には、次の額を超えないものとする。

(a) 当該受益者が銀行である場合には、当該利子の額の十パーセント

(b) その他のすべての場合には、当該利子の額の十五パーセント

3 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であつて、他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国の政府の所有する金融機関が取得するもの及び当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行若しくは当該他方の締約国の政府の所有する金融機関によつて保証された債権又はこれらによる間接融資に係る債権に關し当該他方の締約国の居住者が取得するものについては、当該一方の締約国において租税を免除する。

4 3の規定の適用上、「中央銀行」及び「政府の所有する金融機関」とは、次のものをいう。

(a) 日本国については、

(i) 日本銀行

(ii) 日本輸出入銀行

(iii) 海外経済協力基金

(iv) 国際協力事業団

(v) 日本国政府が資本の全部を所有するその他の金融機関で両締約国の政府が随時合意するもの

not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a bank; and

(b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government, or by any resident of the other Contracting State with respect to debt-claims guaranteed or indirectly financed by the Government of that other Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

4. For the purposes of paragraph 3, the terms "the Central Bank" and "financial institution wholly owned by the Government" mean:

(a) in the case of Japan:

(i) the Bank of Japan;

(ii) the Export-Import Bank of Japan;

(iii) the Overseas Economic Cooperation Fund;

(iv) the Japan International Cooperation Agency; and

(v) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of Japan as may be agreed

- (b) インドについては、
- (i) インド準備銀行
 - (ii) インド輸出入銀行
 - (iii) インド政府が資本の全部を所有するその他の金融機関
- で両締約国の政府が随時合意するもの

5 この条において、「利子」とは、すべての種類の信用に係る債権（担保の有無及び債務者の利得の分配を受ける権利の有無を問わない。）から生じた所得、特に、公債、債券又は社債から生じた所得（公債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。）をいう。

6 1から3までの規定は、一方の締約国の居住者である利子の受益者が、当該利子の生じた他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は当該他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。

7 利子は、その支払者が一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府、地方公共団体若しくは居住者である場合には、

upon from time to time between the Governments of the two Contracting States;

(b) in the case of India:

(i) Reserve Bank of India;

(ii) Export-Import Bank of India;

(iii) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of India as may be agreed upon from time to time between the Governments of the two Contracting States.

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectually connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that

当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、利子の支払者（締約国の居住者であるかないかを問わない）が一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有する場合において、当該利子の支払の基因となった債務が当該恒久的施設又は固定的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、当該利子は、当該恒久的施設又は固定的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。

8 利子の支払の基因となった債権について考慮した場合において、利子の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の關係により、利子の額が、その關係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対し、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができらる。

第十二条

1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 1の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、これらが生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って

Contracting State itself, a political subdivision or a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and

租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受領者が当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受益者である場合には、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の額の二十パーセントを超えないものとする。

3 この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物（映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。）の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領するすべての種類の支払金をいう。

4 この条において、「技術上の役務に対する料金」とは、技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタントの役務の対価としてのすべての支払金（支払者のその雇用する者に対する支払金及び第十四条に定める独立の人的役務の対価としての個人に対する支払金を除く。）をいう。

5 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料又は技術上の役務に対する料金の受益者が、当該使用料若しくは技術上の役務に対する料金の生じた他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は当該他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当

according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments and to any individual for independent personal services referred to in Article 14, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provisions of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated

該使用料又は技術上の役務に対する料金の支払の基因となつた権利、財産又は契約が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。

6 使用料及び技術上の役務に対する料金は、その支払者が一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府、地方公共団体若しくは居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、使用料又は技術上の役務に対する料金の支払者（締約国の居住者であるかないかを問わない。）が一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有する場合において、当該使用料又は技術上の役務に対する料金を支払う債務が当該恒久的施設又は固定的施設について生じ、かつ、当該使用料又は技術上の役務に対する料金が当該恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、当該使用料又は技術上の役務に対する料金は、当該恒久的施設又は固定的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。

7 使用料又は技術上の役務に対する料金の支払の基因となつた使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料若しくは技術上の役務に対する料金の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、使用料又は技術上の役務に対する料金の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超

therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain

過分に對し、この条約の他の規定に妥当な考慮を払つた上、各締約国の法令に従つて租税を課することができる。

第十三条

- 1 一方の締約国の居住者が第六条に規定する不動産で他方の締約国内に存在するものの譲渡によつて取得する収益に對しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
- 2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産の一部を成す財産（不動産を除く。）の譲渡又は一方の締約国の居住者が独立の人的役務を提供するため他方の締約国内において使用することのできる固定的施設に係る財産（不動産を除く。）の譲渡から生ずる収益（単独に若しくは企業全体として行われる当該恒久的施設の譲渡又は当該固定的施設の譲渡から生ずる収益を含む。）に對しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

- 3 2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の株式の譲渡によつて取得する収益に對しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

- 4 一方の締約国の居住者が国際運輸に運用する船舶又は航空機及びこれらの船舶又は航空機の運用に係る財産（不動産を除く。）の譲渡によつて取得する収益に對しては、当該一方

taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. Gains from the alienation of any property, other than immovable property, forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of any property, other than immovable property, pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.
3. Unless the provisions of paragraph 2 are applicable, gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and any property, other than immovable property, pertaining to the operation of such ships or

5 一方の締約国の居住者が1から4までに規定する財産以外の財産の譲渡によって取得する収益に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

第十四条

1 一方の締約国の居住者が自由職業その他の独立の性格を有する活動について取得する所得に対しては、その者が自己の活動を行うため通常使用することのできる固定的施設を他方の締約国内に有せず、かつ、その者が当該課税年度又は「前年度」を通じて合計百八十三日を超える期間当該他方の締約国内に滞在しない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。その者がそのような固定的施設を有する場合は前記の期間当該他方の締約国内に滞在する場合には、当該所得に対しては、当該固定的施設に帰せられる部分又は前記の期間を通じて当該他方の締約国内において取得した部分についてのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 「自由職業」には、特に、学術上、文学上、美術上及び教育上の独立の活動並びに医師、弁護士、技術士、建築士、歯科医師及び公認会計士の独立の活動を含む。

第十五条

aircraft shall be taxable only in that Contracting State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 4, shall be taxable only in that Contracting State.

Article 14

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities or he is present in that other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days during any taxable year or "previous year", as the case may be. If he has such a fixed base or remains in that other Contracting State for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other Contracting State during the aforesaid period or periods.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

勤務に対する報酬

1 次条及び第十八条から第二十一条までの規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われな限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(a) 報酬の受領者が当該課税年度又は「前年度」を通じて合計百八十三日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在すること。

(b) 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。

(c) 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものでないこと。

3 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶又は航空機内において行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができない。

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if:

(a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during any taxable year or "previous year", as the case may be; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

第十六条

一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

第十七条

1 第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である個人が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内で行う個人的活動によつて取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

もっとも、そのような活動が両締約国の政府間で合意された文化交流のための特別の計画に基づき当該一方の締約国の居住者である個人により行われる場合には、当該所得については、当該他方の締約国において租税を免除する。

2 一方の締約国内で行う芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の他方の締約国の居住者である者に帰属する場合には、当該所得に対しては、第七条、第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、当該一方の締約国において租税を課することができる。

もっとも、そのような活動が両締約国の政府間で合意され

インドとの租税(所得)条約

Article 16

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by an individual who is a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, and a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

Such income shall, however, be exempt from tax in that other Contracting State if such activities are exercised by an individual who is a resident of the first-mentioned Contracting State pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.

2. Where income in respect of personal activities exercised in a Contracting State by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person who is a resident of the other Contracting State, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the first-mentioned Contracting State.

Such income shall, however, be exempt from

た文化交流のための特別の計画に基づいて行われる場合には、当該所得については、そのような活動が行われた締約国において租税を免除する。

第十八条

Article 18

tax in the first-mentioned Contracting State if such activities are exercised pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.

次条2の規定が適用される場合を除くほか、過去の勤務につき一方の締約国の居住者に支払われる退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that Contracting State.

第十九条

Article 19

1 (a) 政府の職務の遂行として一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供される役務につき、個人に対し当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって支払われる報酬（退職年金を除く。）に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, to an individual in respect of services rendered to that Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供されかつ、(a)の個人が次の(i)又は(ii)に該当する当該他方の締約国の居住者である場合には、その報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(i) 当該他方の締約国の国民

(i) is a national of that other Contracting State; or

(ii) 専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住

(ii) did not become a resident of that other

者となつた者でないもの

2 a. 一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供される役務につき、個人に対し、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によつて支払われ、又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が拠出した基金から支払われる退職年金に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(b) もっとも、(a)の個人が他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の国民である場合には、その退職年金に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。

3 一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体の行う事業に関連して提供される役務につき支払われる報酬及び退職年金については、第十五条から前条までの規定を適用する。

第二十条

専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であつて、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であつたものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付については、当該一方の締約国の租税を免除する。ただし、当該給付が当該

学生、事業修習者等への給付金

Contracting State solely for the purpose of performing the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds to which contributions are made by, a Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, to an individual in respect of services rendered to that Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof.

Article 20

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance,

一方の締約国外から支払われるものである場合に限る。

education or training shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that first-mentioned Contracting State.

第二十一条

Article 21

1 大学、学校その他の公認された教育機関において教育又は研究を行うため一方の締約国を訪れ、二年を超えない期間一時的に滞在する教授又は教員であつて、現に他方の締約国の居住者であるもの又は訪れる直前に他方の締約国の居住者であつたものに対しては、その教育又は研究に係る報酬につき、当該他方の締約国においてのみ租税を課することがある。

2 この条の規定は、公的な利益のためではなく、主として特定の者の私的な利益のために行われる研究から生ずる所得については、適用しない。

1. A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other accredited educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

第二十二条

Article 22

1 一方の締約国の居住者の所得(源泉地を問わない。)で前各条に規定がないものに対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

2 1の規定は、一方の締約国の居住者である所得(第六条2に規定する不動産から生ずる所得を除く。)の受領者が、他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は当該他方の締約国において当該他方の

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting

教授、教員等の所得

その他の所得

締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、当該所得については、適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。

3 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者の所得のうち、他方の締約国内において生ずるものであって前各条に規定のないものに対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

第二十三条

1 いずれかの締約国において施行されている法令は、この条約において反対の規定が特に設けられている場合を除き、当該締約国において、引き続き所得の課税を規律するものとする。

2 インドにおいては、二重課税は、次の方法により回避される。

(a) インドの居住者がこの条約の規定に従って日本国において租税を課される所得を得る場合には、インドは、日本国において直接に又は源泉徴収により納付される租税の額を当該居住者の所得に対する租税の額から控除する。ただし、控除の額は、(当該控除が行われる前に算定された)所得に対する租税の額のうち日本国において租税を課される当該所得に対応する部分を超えないものとする。また、

State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 23

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting State except where express provisions to the contrary are made in this Convention.

2. Double taxation shall be avoided in the case of India as follows:

(a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Japan, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the Japanese tax paid in Japan, whether directly or by deduction. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is

当該居住者がインドにおいて超過利潤税を課される法人である場合には、日本国において納付される所得に対する租税の額は、まず、インドにおいて当該法人に課される所得の額から控除し、なお残額があるときは、インドにおいて当該法人に課される超過利潤税の額から控除する。

(b) インドの居住者がこの条約の規定に従って日本国においてのみ租税を課される所得を取得する場合には、インドは、当該所得をインドの租税の課税標準に含めることができ。ただし、所得に対する租税の額から日本国において取得する当該所得に対応する部分を控除する。

3 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令に従い、

(a) 日本国の居住者がこの条約の規定に従ってインドにおいて租税を課される所得をインドにおいて取得する場合には、当該所得について納付されるインドの租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分を越えないものとする。

(b) インドにおいて取得される所得が、インドの居住者である法人によりその議決権のある株式又はその発行済株式の少なくとも二十五パーセントを所有する日本国の居住者である法人に対して支払われる配当である場合には、日本国

attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Japan. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income tax paid in Japan shall be allowed in the first instance from income-tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.

(b) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Japan, India may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable, as the case may be, to the income derived from Japan.

3. Subject to the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese tax of tax payable in any country other than Japan:

(a) Where a resident of Japan derives income from India which may be taxed in India in accordance with the provisions of this Convention, the amount of Indian tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Japanese tax which is appropriate to that income.

(b) Where the income derived from India is a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Japan and which owns not less than 25 per cent either of the voting shares of the company paying the dividend, or of the total shares issued

の租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人によりその所得について納付されるインドの租税を考慮に入れるものとする。

(c) (a)及び(b)に規定する控除の適用上、インドの経済開発を促進するための特別の奨励措置であつてこの条約の署名の日に実施されているもの又はその修正若しくは追加としてインドの租税に関する法令にその後導入されることのあるものに従つてインドの租税の軽減又は免除が行われなかつたとしたならばインドの法令に基づき及びこの条約の規定に従つてインドの租税として納付されたであろう額は、納税者によつて納付されたものとみなす。ただし、両締約国の政府が前記の措置により納税者に与えられる特典の範囲について合意を行うことを条件とする。

第二十四条

1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租税若しくはこれに関連する要件又はより重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。この1の規定は、第一条の規定にかかわらず、締約国の居住者でない者にも、適用する。

2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設

インドとの租税(所得)条約

by that company, the credit shall take into account the Indian tax payable by the company paying the dividend in respect of its income.

(c) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraphs (a) and (b) above, there shall be deemed to have been paid by the taxpayer the amount which would have been paid as Indian tax under the laws of India and in accordance with this Convention if the Indian tax had not been reduced or relieved in accordance with the special incentive measures designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Convention or which may be introduced in future in the Indian tax laws in modification of or in addition to the existing measures, provided that an agreement is made between the two Governments in respect of the scope of the benefit accorded to the taxpayer by the said measures.

Article 24

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, of also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment

に對する租税は、当該他方の締約国において、同様の活動を行う当該他方の締約国の企業に對して課される租税よりも不利に課されることはない。

この2の規定は、一方の締約国に對し、家族の状況又は家族を扶養するための負担を理由として自国の居住者に認める租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の居住者に認めることを義務付けるものと解してはならない。

3 第九条、第十一條8又は第十二條7の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の企業が他方の締約国の居住者に支払つた利子、使用料その他の支払金については、当該企業の課税対象利得の決定に当たつて、当該一方の締約国の居住者に支払われたとした場合における条件と同様の条件で控除するものとする。

4 一方の締約国の企業であつてその資本の全部又は一部が他方の締約国の一又は二以上の居住者により直接又は間接に所有され又は支配されているものは、当該一方の締約国において、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租税若しくはこれに関連する要件又はより重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。

5 この条において、「租税」とは、この条約の対象である租税をいう。

which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

第二十五条

不服申立
て及び両
国当局間
の協議

1 いずれか一方の又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受けたと又は受けることになることを認める者は、当該事案について、当該いずれか一方の又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができ、当該申立ては、この条約の規定に適合しない課税に係る当該措置の最初の通知の日から三年以内に、しなければならぬ。

2 権限のある当局は、1の申立てを正当と認めるが、満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によつて当該事案を解決しよう努める。成立したすべての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。

3 両締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用に關して生ずる困難又は疑義を合意によつて解決しよう努める。両締約国の権限のある当局は、また、この条約に定めのない場合における二重課税を除去するため、相互に協議することができぬ。

4 両締約国の権限のある当局は、2及び3の合意に達するた

Article 25

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the provisions of this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly

め、直接相互に通信することができる。

第二十六条

1 両締約国の権限のある当局は、この条約若しくはこの条約が適用される租税に関する両締約国の法令（当該法令に基づく課税がこの条約の規定に反しない場合に限る。）を実施するため、又はこれらの租税に関する脱税を防止するために必要な情報を交換する。交換された情報は、秘密として取り扱ふものとし、この条約が適用される租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関する執行若しくは訴追又はこれらの租税に関する不服申立てについての決定に関与する者又は当局（裁判所を含む。）に対してのみ開示することができむ。

2 1の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解してはならない。

- (a) 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。
- (b) 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手することができない情報を提供すること。
- (c) 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような情報又は公開す

for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs of this Article.

Article 26

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the provisions of this Convention, or for the prevention of fiscal evasion or fraud with respect to such taxes. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall be disclosed only to persons or authorities, including courts, involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the taxes covered by this Convention or the determination of appeals in relation thereto.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; or
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional

外交官又は領事官の特権との関係

批准、効力発生及び適用の開始時期

ることが公の秩序に反することになる情報を提供すること。

第二十七条

この条約のいかなる規定も、国際法の一般原則又は特別の協定に基づく外交官又は領事官の租税上の特権に影響を及ぼすものではない。

第二十八条

- 1 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかに東京で交換されるものとする。
- 2 この条約は、批准書の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずるものとし、次のものについて適用する。
 - (a) 日本国においては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の所得

(b) インドにおいては、

この条約が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に開始する各「前年度」の所得

3 千九百六十年一月五日にニュー・デリーで署名された所得

インドとの租税（所得）条約

secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Tokyo as soon as possible.
2. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of instruments of ratification and shall have effect:
 - (a) in Japan: as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and

(b) in India: as regards income for any "previous year" beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

3. The Agreement between Japan and India for

に對する租税に關する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定は、2の規定に従つてこの条約が適用される所得につき、終了し、かつ、適用されなくなる。

第二十九条

この条約は、無期限に効力を有する。ただし、いずれの一方の締約国も、この条約の効力發生の日から五年の期間が満了した後開始する各年の六月三十日以前に、外交上の経路を通じて他方の締約国に対し書面による終了の通告を行うことができ。この場合には、この条約は、次のものについて効力を失う。

- (a) 日本国においては、
終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の所得
- (b) インドにおいては、
終了の通告が行われた年の翌年の四月一日以後に開始する各「前年度」の所得

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。

千九百八十九年三月七日にニュー・デリーで、ひとしく正文

末文

The Avoidance of Double Taxation in respect of Taxes on Income signed at New Delhi on January 5, 1960 shall terminate and cease to have effect in respect of income to which this Convention applies under the provisions of paragraph 2.

Article 29

This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before the thirtieth day of June of any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

- (a) in Japan:
as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given; and
- (b) in India:
as regards income for any "previous year" beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

DONE at New Delhi in duplicate on this seventh day of March, 1989 in the

である日本語、ヒンディ語及び英語により本書二通を作成した。
解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

日本国政府のために

野田英二郎

インド共和国政府のために

G・N・グプタ

Japanese, Hindi and English languages, all the
three texts being equally authentic. In case
of any divergence of interpretations, the
English text shall prevail.

For the Government
of Japan:

Eijiro Noda

For the Government
of the Republic of India:

G.N. Gupta

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अर्पणन की रीतियों के निम्न

जापान की सरकार

और

भारत सरकार का

सरकार के बीच

अभिलेख

जापान की सरकार और भारत सरकार का आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अर्पणन की रीतियों के निम्न एक नया अभिलेख सम्पन्न करने की वंशा है, नीचे निम्न प्रकार सम्मत हुई है :

अनुच्छेद 1

यह अभिलेख उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दोनों संचालककारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद 2

1. जो कर इस अभिलेख के विषय हैं, वे इस प्रकार हैं :-

§ क) जापान में :

§ 1) आय-कर ; और

§ 1 1/2) निगम कर

§ इनमें काले बाद "जापानी कर" कहा गया है ;

§ ख) भारत में :

आयकर, जिसमें उस पर लगाया गया कोई भी कर भी शामिल है

§ किसी काले बाद "भारतीय कर" कहा गया है ।

2. यह अभिलेख किसी भी समय अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो इस अभिलेख पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पेश होगा । में उल्कीक करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जायेंगे । संचालककारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारों के अधीन भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में, ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् एक समुचित अवधि के भीतर, एक दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद 3

1. इस अभिलेख के प्रयोजनों के निम्न उन तक कि विषयगत पत्र में अन्वयश औचित्य न हों :

§ क) "जापान" शब्द से अभिप्रेत है - जहां एक भौगोलिक उद्देश्य के निम्न उपयोग किया जाता है तो संकात अर्थ है जापान

का राज्य क्षेत्र जिसमें यह भी शामिल है -- राज्य क्षेत्रीय समुद्र जिन पर जापानी कर से स्थगित कानून लागू होता

है, राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे समस्त क्षेत्र जिसमें उसका समुद्रतल तथा अर्धवत् भी शामिल है, जिस पर जापान क्षेत्राधिकार कायम के अनुसार क्षेत्राधिकार रखता है तथा जिसमें जापान की भी क्षेत्राधिकार कायम प्रवृत्त है ;

§ 74 "भारत" शब्द से अभिप्रेत है-- भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है-- राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिसमें भारते में भारत की भारतीय कायम के अनुसार तथा अन्तराष्ट्रीय कायम के अनुसार प्रमुखता सम्पन्न अधिकार प्राप्त है ;

§ 75 "एक क्षेत्राधिकारी राज्य" तथा "दूसरा क्षेत्राधिकारी राज्य" पदों से विख्यात पाठ की अन्वयात् जापान अथवा भारत अभिप्रेत है ;

§ 76 "कर" शब्द से विख्यात पाठ की अन्वयात् क्षेत्राधिकार जापान की अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है ;

§ 77 "व्यवहार" शब्द से कोई व्यवहार, कोई कम्पनी और व्यवहारों का कोई अन्य विचार शामिल है ;

§ 78 "कम्पनी" शब्द से कोई भी क्षेत्राधिकार विचार अथवा कोई सलाह अभिप्रेत है जिसे कर-प्रदाताओं के नियम एक निर्णयित विचार के रूप में माना जाता है ;

§ 79 "एक क्षेत्राधिकारी राज्य का राज्य" और "दूसरे क्षेत्राधिकारी राज्य का राज्य" पदों से क्रमशः एक क्षेत्राधिकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा स्थापित कोई उद्यम और दूसरे क्षेत्राधिकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा स्थापित

कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

§ 80 "राष्ट्रिय" शब्द से अभिप्रेत है :-

§ 81 जापान के बारे में ;

§ 82 सभी व्यक्ति व्यवहार विचार क्षेत्राधिकार प्राप्त है और सभी व्यक्ति व्यवहार विचार क्षेत्राधिकार प्राप्त है और सभी व्यक्ति व्यवहार विचार क्षेत्राधिकार प्राप्त है

§ 83 "भारत" शब्द से अभिप्रेत है-- भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है-- राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिसमें भारते में भारत की भारतीय कायम के अनुसार तथा अन्तराष्ट्रीय कायम के अनुसार प्रमुखता सम्पन्न अधिकार प्राप्त है ;

§ 84 "एक क्षेत्राधिकारी राज्य" तथा "दूसरा क्षेत्राधिकारी राज्य" पदों से विख्यात पाठ की अन्वयात् जापान अथवा भारत अभिप्रेत है ;

§ 85 "कर" शब्द से विख्यात पाठ की अन्वयात् क्षेत्राधिकार जापान की अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है ;

§ 86 "व्यवहार" शब्द से कोई व्यवहार, कोई कम्पनी और व्यवहारों का कोई अन्य विचार शामिल है ;

§ 87 "कम्पनी" शब्द से कोई भी क्षेत्राधिकार विचार अथवा कोई सलाह अभिप्रेत है जिसे कर-प्रदाताओं के नियम एक निर्णयित विचार के रूप में माना जाता है ;

§ 88 "एक क्षेत्राधिकारी राज्य का राज्य" और "दूसरे क्षेत्राधिकारी राज्य का राज्य" पदों से क्रमशः एक क्षेत्राधिकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा स्थापित कोई उद्यम और दूसरे क्षेत्राधिकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा स्थापित

कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

केन्द्रीय सरकार : अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ।

2. जहाँ तक किसी सीविकाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्दावली का जो उसमें परिभाषित नहीं हुई हो, जब तक विवक्षित परत में उल्लेख अतिरिक्त नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस सीविकाकारी राज्य के कर्तव्य में संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिसे पर र्थ अभिसमय लागू होता है ।

--- अनुच्छेद 4 ---

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "किसी सीविकाकारी राज्य का निवासी" पर से अतिरिक्त है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके अधिकांस, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य कसौटी के कारण वहाँ पर कर लगाया जा सकता है ।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनो सीविकाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ सीविकाकारी राज्यों के मध्य प्राधिकारी परस्पर सहमति से उस सीविकाकारी राज्य का निर्धारण करेगी जिस राज्य का वह व्यक्ति इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ एक निवासी माना जाएगा ।

--- अनुच्छेद 5 ---

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पर से कर्तबिहार का वह निर्दिष्ट संथान अतिरिक्त है, जहाँ किसी उच्च का कर्तबिहार सम्पूर्ण : अथवा जहाँ : कर्तबिहार जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पर से विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- १) कर्म प्रबंध व्यवस्थापककोई स्थान :
- १) उद्योग कोई शोधत :
- १) गण कोई कार्यालय :
- १) उद्योग कोई कारखानात :
- १) उद्योग कोई कारखानात :
- १) उद्योग कोई शान, लेन अथवा गैस या कोई क्यूआ, कोई जलान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निरन्तरकर्म का कोई अन्य स्थान :
- १) उद्योग कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए भांडारण संविधान प्रवैद्य करता हो ;
- १) उद्योग कोई फार्म, बगिचा अथवा अन्य स्थान जहाँ पर कृषि, वाणिज्य, पशुधन अथवा उनसे संबंधित कार्यालय पिकर जाने हों ;

१) उद्योग कोई भण्डार अथवा अन्य किसी केन्द्र : तथा
१) उद्योग कोई संस्थापना अथवा संरचना जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता हो, निरन्तर केवल उस स्थिति में जब उसका इस्तेमाल हो : मशीने की अन्वेष से अधिक समय तक किया गया हो ।

3. कोई भवन-स्थल अथवा निवास, संस्थापना अथवा पक्षेच्छनी प्रत्येक केवल उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन होगा यदि वह हो : मशीने से अधिक समय तक विद्यमान रहता है ।

4. किसी उद्योग का किसी सीविकाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से

कारोबार का बंधनमान तथा समझौता जापाना यदि वह उस सौविदाकारणी राज्य में किसी निमापिरसन अथवा निमापि, संस्थापना अथवा ऐसे पसेनबन्दी प्रोवेन्ट के संबल में छुः महीने की अवधि में अधिक समय तक पडिबन्दी कारकभाव बनाता ही जो उस सौविदाकारणी राज्य के भीतर छुद किए जाते हैं ।

5. पैराग्राफ 3 तथा 4 के उपबन्धों के होने हुए भी किसी उद्यम का किसी सौविदाकारणी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार का बंधनमान तथा माना जापाना यदि वह उस सौविदाकारणी राज्य में उस सौविदाकारणी राज्य के अन्तर्गत विभिन्न तेलों की खोज, उनके स्फुर्योत्पन्न अथवा निरकल्प के बारे में छुः महीने की अवधि में अधिक समय के लिए सैबाय अथवा सुविधाय प्रदान करता है ।

6. इस अनुबंध के पूर्वकी पैराग्राफों के उपबन्धों के होने हुए भी "स्थायी संस्थापन" पर से निम्नलिखित का शापिमल नहीं होना माना जापाना :

क) उस उद्यम से संबन्धित मान अथवा पण्य वस्तुओं के भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनों मात्र सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनों उस उद्यम से संबन्धित मान अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टाक का

तय-रखाव करना ;

ग) मात्र किसी अन्य उद्यम द्वारा सापामिल किए जाने के प्रयोजनों उस उद्यम से संबन्धित मान अथवा पण्य

वस्तुओं के किसी स्टाक का तय-रखाव करना ;

ख) उस उद्यम के लिए मान अथवा पण्य वस्तुओं की मात्रा परीद करने अथवा उसके बारे में सूचना एकत्र करने में लिए व्यापार के किसी निरिबल रथान का तय-रखाव करना ;

ड) उस उद्यम के लिए मात्र किसी प्रारथिक अथवा सहायक क्रिस के किसी अन्य कार्य-कभाव की बंधनों के प्रयोजनों के व्यापार के किसी निरिबल रथान का तय-रखाव करना ।

7. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्धों के होने हुए भी और पर कोई स्वयंसेवित के किसी एजेन्ट, पिस पर पैराग्राफ 8 नागु होता है, से निम्न कोई व्यक्ति दूसरे सौविदाकारणी राज्य के किसी उद्यम की तरफ से किसी सौविदाकारणी राज्य में कार्य करता है, उस उद्यम का प्रमोन्लिखित सौविदाकारणी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना तथा माना जापाना :

क) यदि उसे उस उद्यम की तरफ से उस सौविदाकारणी राज्य में छेपों की सपन्न करने का अधिकार प्राप्त हो तथा वह आदत्त ऐसे छेपे सपन्न करता है, जब तक कि इसके कार्द-कभाव, यदि उन्हें कारोबार के किसी निरिबल रथान पर सम्पन्न किया गया है, पैराग्राफ 6 में उन्निर्दिष्ट कार्द-कभावों तक सीमित नहीं है, पिसके द्वारा कारोबार का यह निरिबल रथान उस पैराग्राफ के उपबन्धों के तहत एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाता ;

ख) उसके पास इस तरह का कोई प्राधिकार नहीं है किन्तु वह प्रमोन्लिखित सौविदाकारणी राज्य में ऐसे मान अथवा पण्य वस्तुओं का एक स्टाक आदत्त रखता है पिसमें से

वह नियमित रूप से इस उद्यम की तरफ से मान अवस्था
पण्य वस्तुओं की डिलीवरी करता है ; अवस्था

§ 7
वह उस प्रयोगितरहित सीविदाकारी राज्य में आदतन
जाँच प्रारम्भ करता है, पूर्वतः अवस्था संशय पूर्वतः स्वयं
उस उद्यम के लिए अवस्था उद्यम के लिए और ऐसे उद्यमों के
लिए जो निरक्षर रहते हों, निरक्षर में रहते हों, अवस्था
उस उद्यम की तरह उस जैसे निरक्षर में रहते हों ।

8. किसी उद्यम का किसी सीविदाकारी राज्य में कोई स्थायी
संस्थापन का होना मात्र इस कारण नहीं माना जाएगा कि वह किसी
दलान, सामान्यव्यवस्थागत एजेंट अवस्था किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी
अन्य एजेंट की मार्फत उस सीविदाकारी राज्य में व्यापार चलाता है
बल्कि कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कार्य
करते हों ।

9. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी जो किसी सीविदाकारी राज्य
की निवासी है किसी ऐसी कम्पनी पर नियन्त्रण रखती है अवस्था उसके
द्वारा नियन्त्रित होती है जो दूसरे सीविदाकारी राज्य की निवासी हो
अवस्था जो दूसरे सीविदाकारी राज्य में जाते हैं किसी स्थायी संस्थापन
के माध्यम से अवस्था अन्यथा कारोबार चलाती है, दोनों में से
किसी भी कम्पनी को दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन का दर्जा
नहीं देता है ।

अनुच्छेद 6

1. एक सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे

सीविदाकारी राज्य में स्थित कबल सम्पत्ति से प्राप्त आय
पर उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में कर आयाज का होगा ।

2. "कबल सम्पत्ति" पद का अर्थ वहीं होगा जो उस सीविदा-
कारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उम्मत अर्थ है किन्तु
स्वीकृत सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी दशा में
ये शामिल होंगे -- कबल सम्पत्ति के असाधन के रूप में
सम्पत्ति, कृषि और वाणिज्य में प्रयुक्त पशुधन और
उपकरण, जैसे अधिकार जिन पर कबल सम्पत्ति स्विकृती
सामान्य कानून के उपलब्ध भाग होते हैं, कबल सम्पत्ति
की शोने के अधिकार और गतिविध आउटलेट, शोने तथा
अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सहायन के लिए, अवस्था कार्य
के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अवस्था नियम
अवधारणियों के अधिकार ; जनयान तथा वायुयान कबल
सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे ।

3. परंपरा । के उपलब्ध कबल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे
किराए पर देने अवस्था किसी अन्य प्रकार के उपयोग से
होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

4. परंपरा । तथा 3 के उपलब्ध किसी उद्यम की कबल सम्पत्ति
से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के
निष्पादन के लिए प्रयुक्त कबल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर
भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद 7

1. किसी सौविदाकारणी राज्य के किसी उद्यम के नाशों पर केवल उसी सौविदाकारणी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे सौविदाकारणी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपपुत्रल तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के नाशों पर दूसरे सौविदाकारणी राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके नाशों के केवल उतने अंश पर ही कर लगाया जा सकता जो प्रत्यक्षतः अथवा अत्यक्षतः उस स्थायी संस्थापन के कारण हो।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अन्तर्गत रहने हुए जहाँ एक सौविदाकारणी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सौविदाकारणी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, तो प्रत्येक सौविदाकारणी राज्य में ऐसे नाशों को उस स्थायी संस्थापन का नाश समझा जाएगा जो उसे उस स्थिति में प्राप्त होने की अपेक्षा रहती जब वह एक-समान अथवा उससे भिन्नती-जुलती परिसरितियों में एक-समान या उससे भिन्न-जुलते कार्यालयों में लगा हुआ कोई निरिचल और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के नाशों का निर्धारण करने में उन सभी को बंदीतियों के रूप में सम्मति दी जायगी जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनसे इस प्रकार के नियम गण कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक वर्षे भी सम्मिल हों, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ वह स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यथा किए गए हों।

4. जहाँ किसी सौविदाकारणी राज्य में यह प्रशा रही है कि

किसी स्थायी संस्थापन को होने वाले नाशों का निर्धारण उद्यम के कुल नाशों को उसके विभिन्न भागों में विभाजन के आधार पर किया जाता हो, वहाँ पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस सौविदाकारणी राज्य को प्रशा अंसार विभाजन के द्वारा कर योग्य नाशों का निर्धारण करने में निर्धारित नहीं करेगी; तथापि, विभाजन के नियम अपनाई गईं विधि ऐसी होगी कि उसके परिणाम इस अनुबंध में विहित स्थितियों के अन्तर्गत होंगे।

5. कोई भी ऐसा नाश मात्र इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के नियम मात्र अथवा फायदा वस्तुतः खरीदी गई है।

6. इस अनुबंध के प्रबंधनी पैराग्राफों के उपबंधों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए सभी जाने जाने नाशों का तब तक वर्गीकरण उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता होगा जब तक कि उसके विपरीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

7. जहाँ पर नाशों में बाधा डी ऐसी मद्दे शक्ति है जिसका इस अधिप्रपत्र के अन्य अनुबंधों में अंग से विवेकन किया गया है, वहाँ पर उन अनुबंधों के उपबंध इस अनुबंध के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुबंध 8

1. किसी सौविदाकारणी राज्य के किसी उद्यम द्वारा उत्पन्न-राष्ट्रीय यातायात में वायुयान के परिवहनन से प्राप्त नाशों पर उसी सौविदाकारणी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. किसी सौविदाकारणी राज्य के किसी उद्यम द्वारा

अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के परिवहन में प्राप्त आयों पर केवल उसी सविदाकारी राज्य में कर लीगा ।

3. पराग्राह 2 के उपबंधों के होने हुए भी, ऐसे नावों पर उस दूसरे सविदाकारी राज्य में कर लीगा जहाँ से करायेय प्रथम दस वर्षों की अवधि के दौरान अथवा "पूर्ववर्ती वर्षों" में, जहा नाव नामना था, प्राप्त हुए हों, जिस अवधि के लिए यह अभिसमय प्रभावी होगा जहाँ कि इस प्रकार प्रभारित कर की सीमा निम्नलिखित से अधिक नहीं है :

ईकॉ प्रथम पांच वर्षों के दौरान, 50 प्रतिशत
ईथॉ शेष पांच वर्षों के दौरान, उस दूसरे सविदाकारी राज्य

के कराधान कानून के द्वारा अन्वयता भाग्य गण्य कर की मात्रा का 25 प्रतिशत ।

4. इस अनुबंध के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंध किसी पूर्ण, किसी संयुक्त भारोच्चार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी में भागीदारिता में प्राप्त आयों पर भी लागू होंगे ।

5. अनुबंध 2 के उपबंधों के होने हुए भी इस अनुबंध के उपबंध लागू नहीं उद्यम कर पर भी लागू होने के साथ-साथ उस उद्यम कर में मिलने-जुलने किसी कर पर भी उस स्थिति में लागू होंगे जहाँ कभी ऐसा कर भारत में लागू था गया हो ।

अनुबंध 9

1. जहाँ :

ईकॉ एक सविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सविदाकारी

राज्य के किसी उद्यम की प्रकृत्य व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूर्णता के सिद्धान्तों में प्रत्यक्षतः अथवा काल्पनिकतः भाग लेता है, अथवा

ईथॉ वही व्यक्ति एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रकृत्य व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूर्णता के सिद्धान्तों में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है :

दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसा शर्तें रखी अथवा सार्थक जानी हों, जो ऐसी शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हों, जो तो ऐसा कोई भी भाग जो उन शर्तों के नहीं होने की व्याप्ति में दोनों उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता परन्तु उन शर्तों के कारण वह इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, उस उद्यम के भागों में सम्मिलित किया जा सकेगा और लक्ष्यकारक कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहाँ पर एक सविदाकारी राज्य उस सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के भागों में उन भागों को सम्मिलित करता है और लक्ष्यकारक कर लगाता है—जिन पर दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और जहाँ पर सविदाकारी राज्यों के स्वयं प्राधिकारों विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस बात पर सहमत होने हैं कि इस प्रकार स्थापित किए गए कूल भाग अथवा भागों का कोई भी हिस्सा ऐसे भाग है जो प्रयोजित-निर्दिष्ट सविदाकारी राज्य के उस उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हो गए होने यदि दोनों उद्यमों के बीच बनावट गई शर्तें इस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनावट गई होती तो वह दूसरे सविदाकारी

राज्य उस तरह से सश्रित प्राप्त नाथों पर, उन पर प्रशरित कर की मात्रा के अनुसार समुचित समायोजन करेगा । इन तरह का समा-योजन करने में इस अधिसूच के अन्य उपबंधों पर ध्यानचित ध्यान रखा जाएगा ।

अनुच्छेद 10

1. किसी एक सविदाकार की राज्य की निवासी कम्पनी उसके द्वारा दूसरे सविदाकार की राज्य के किसी निवासी की अदा किए गए नाथों पर उस दूसरे सविदाकार की राज्य में कराये हुए होंगे ।

2. तथापि, इस प्रकार के नाथों पर सविदाकार की राज्य में ही कराये हुए होंगे, किसी नाथों अदा करने वाली कम्पनी उस सविदाकार की राज्य के कानूनों के अनुसार वहाँ निवासी है लेकिन यदि प्राक्कर्म नाथों को तदनुषंगी स्वामी है, तो इस प्रकार के प्रशरित कर की रकम उस नाथों के उपबंध उस कम्पनीकेनाथों से संबंधित कराधान को प्रशरित नहीं करेगी, जिसे वे नाथों को तदनुषंगाने किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "नाथों" शब्द का अर्थियाय है- शेषरूपे बंधा अन्य अधिकारों से, जो कुछ दावे नहीं हों, जो नाथ में शामिल हों प्राप्त वायु, तथा अन्य निमित्त अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस सविदाकार की राज्य के कानूनों द्वारा शेषरूपे से प्राप्त आय के मामलों में लागू होती है जिससे विलय करने वाली कम्पनी निवासी है ।

4. परागान 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि नाथों को तदनुषंगी स्वामी, जो किसी एक सविदा-कार की राज्य का निवासी है, दूसरे सविदाकार की राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उपधार करता है, जिसकी नाथों अदा करने वाली कम्पनी निवासी है, अथवा उस दूसरे सविदा-कार की राज्य में वहाँ स्थित किसी निरिचित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तित्वों केवार्द सम्पन्न करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में नाथों की अदायगी की जाती है वे इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निरिचित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्ध है । ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 कौता ही मामला हों, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो किसी सविदाकार की राज्य की निवासी है, दूसरे सविदाकार की राज्य में नाथ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसे मामलों में उस कम्पनी द्वारा अदा किए गए नाथों पर जहाँ तक ऐसे नाथों को छेड़कर, जो दूसरे सविदाकार की राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हों अथवा जहाँ तक कि देशी स्थिति के बारे में नाथों को अदायगी की गई हों, जो उस दूसरे सविदा-कार की राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा निरिचित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्ध है, उस दूसरे सविदाकार की राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अधिकारित नाथों पर अधिकारित नाथों की किसी का कोई कर लगाया जाएगा, अर्थात् अदा किए गए नाथों अथवा अधिकारित नाथ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे सविदाकार की राज्य में उत्पन्न होने वाले नाथ अथवा आय के रूप में ही हों ।

अनुच्छेद ११

१. किसी सौविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अक्षर किए जाने वाले व्योम पर उस दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर लगेगा ।

२. तथापि, इस प्रकार के व्योम पर सौविदाकारी राज्य में भी और उस सौविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा, जिस राज्य में यह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्त्कर्ता व्योम का विदेशीगी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :

§ क § व्योम की संख्या राशि का १० प्रतिशत, यदि विदेशीगी स्वामी है ; और

§ ख § सभी अन्य मामलों में व्योम की संख्या राशि का १५ प्रतिशत

३. पैराग्राफ २ के उपबन्धों के होते हुए भी किसी एक सौविदाकारी राज्य में दूसरे सौविदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजकीय-सिक्त उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, दूसरे सौविदाकारी राज्य के केन्द्रीय बैंक अथवा उस सरकार के पूर्वनः स्थापित वादी किसी विदेशीय संस्था द्वारा गारंटीयुक्त अथवा अनुसंधान से निवृत्त पौखिल अथवा दावों के संकलन में उद्भूत तथा उसका दूसरे सौविदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजकीय उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, उस दूसरे राज्य के केन्द्रीय बैंक अथवा उस सरकार के पूर्वनः स्थापित वादी किसी विदेशी संस्था द्वारा अथवा उसके दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त व्योम की प्रक्रीयितविलेख सौविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

४. पैराग्राफ ३ के प्रयोजनार्थ, "केन्द्रीय बैंक" तथा "सरकार के पूर्वनः स्थापित वादी विदेशीय संस्था" पर का अभिप्राय :

§ क § जापान के मामले में :

§ ख § दि बैंक आफ जापान,

§ ग § जापान का निर्धारित-आयान बैंक ;

§ घ § समुद्रपारतीय आर्थिक सहयोग निधि ;

§ ङ § जापान अन्तरराष्ट्रीय संस्थान अधिकरण, और

§ च § ऐसी अन्य विदेशीय संस्था, जिसकी पूर्वी का

स्थापित पूर्णतया जापान सरकार द्वारा धारित हो, जो दोनो सौविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमत हो ;

§ छ § भारत के मामले में :

§ क § भारतीय रिजर्व बैंक ;

§ ख § भारत का निर्धारित-आयान बैंक ;

§ ग § ऐसी अन्य विदेशीय संस्था, जिसकी पूर्वी भारत

सरकार द्वारा पूर्णतया धारित हो तथा दोनो सौविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमत हो ।

५. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्योम" शब्द से अभिप्रेत है- प्रत्येक प्रकार के अल्प-दावों से प्राप्त आय, बाहे व बैंक द्वारा प्रतिष्ठित होने या नहीं हो, और बाहे अल्प-दाता के नाथों में भागीदारों का कोई अधिकार रखने होने या नहीं रखने होने, और शासनी पर, सरकारों प्राधिकारियों से प्राप्त आय और बैंक-दावों अथवा अल्प-दावों से

प्रदान बाय, जिससे ऐसी प्रतिष्ठितियों, संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को से
क्षितित प्रीमियम और सुरक्षाएं भी प्राप्त हो सके हैं ।

6. परंपरागत 1, 2 और 3 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हिस्सा भी स्वामी है, जो किसी संविदाकार की राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकार की राज्य में जिससे ब्याज, प्रतिफल हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे संविदाकार की राज्य में वहाँ स्थित किसी निरिक्त स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस रूप दानों के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निरिक्त स्थान से प्राप्त हो सके हैं । ऐसे मामलों में अनुबंध 7 अथवा 14 के उपबंध द्यारिस्थित लागू होंगे ।

7. किसी संविदाकार की राज्य में ब्याज उस स्थिति में उद्धृत हुआ भुक्त जाया, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदा-कार की राज्य, उस संविदाकार की राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु जब ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, वहाँ वह किसी संविदाकार की राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकार की राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निरिक्त स्थान है जिससे संबंध में वह स्वयं उद्धृत हुआ हो, जिस पर ब्याज की अदायगी की गई हो और इस प्रकार का ब्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निरिक्त स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकार की राज्य में उद्धृत हुआ माना जाएगा, जिससे वह स्थायी संस्थापन अथवा निरिक्त स्थान स्थित है ।

8. अर्थात् ब्याज अदाकर्ता तथा हिस्सा भी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद प्रसारण का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस रूपदानी के स्थान में रखते हुए, जिससे नियम उस ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से हटा जाती है जिससे नियम इस प्रकार के संबंधों के नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हिस्सा भी स्वामी के बीच सम्बन्धित हो गई होती वहाँ इस अनुबंध के उपबंध केवल अन्तःस्थित स्थिति पर ही लागू होंगे । ऐसे मामलों में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस अधिसूचन के अन्य उपबंधों का सम्यक स्थान रखते हुए प्रत्येक संविदाकार की राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुबंध 12

1. एक संविदाकार की राज्य में उद्धृत होने वाली और दूसरे संविदाकार की राज्य के किसी निवासी को अदा की जाने वाली राशिद्वारे तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के आदान पर उस दूसरे संविदाकार की राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, ऐसी राशिद्वारे तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकार की राज्य में भी, जिससे उद्धृत होती है तथा उसी संविदाकार की राज्य के कानूनों के अनुसार, कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राक्ससों राशिद्वारे अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हिस्सा भी स्वामी है तो इस प्रकार लगाए गए कर की राशि उक्त राशिद्वारे अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

3. इस अनुच्छेद में धाराप्रयुक्त "रायचिंटयों" शब्द से तात्परिकरक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों, जिन्में कानिचन, जिन्में तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के निरूपकमें तथा ऐंवे भी शामिल है, कोई ऐंटे-ट्रेड ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडर्न, ज्ञान गुणन फार्मूला अथवा प्रक्षिपण के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के निरूप, कर्षण-राइट के निरूप अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जासूसगारी के निरूप उसके प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के निरूप प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अनिश्चित है ।

4. इस अनुच्छेद में धाराप्रयुक्त "कम्पिन्की सेवाओं के निरूप फीस" पद से अनिश्चित है, किसी प्रबंक्षणीय, कम्पिन्की अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के प्रालिषण में अनुच्छेद 14 में उचितरित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निरूप अदायगीया करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाली अदायगीयो से निरूपन किसी व्यक्ति को तथा किसी व्यक्ति को की गई किसी किस की अदायगीयाः ।

5. धारा 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायचिंटयों अथवा कम्पिन्की सेवाओं के निरूप विहनौगरी स्वामी, एक संपिदाकारणी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संपिदाकारणी राज्य में, जिसमें रायचिंटयों अथवा कम्पिन्कीसेवाओं के निरूप फीस उद्भूत होती है, वहाँ पर स्थित किसी स्थानी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा दूसरे संपिदाकारणी राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निरिचन स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ निरूपन करता है तथा जिसे अधिकार, सम्पत्ति अथवा छेके के संबंध में रायचिंटयों

अथवा कम्पिन्की सेवाओं के निरूप फीस की अदायगी की जाती है, उसका संबंध प्रशासी हू से ऐसे स्थानी संस्थापन अथवा निरिचन स्थान से है, ऐसे मानने में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, सेवा भी मान्यता हो, लागू होंगे ।

6. रायचिंटयों तथा कम्पिन्की सेवाओं के निरूप फीस एक संपिदाकारणी राज्य से उस स्थिति में उद्भूत हुई माननी जायगी जब अदाकर्ता स्वयं वह संपिदाकारणी राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस संपिदाकारणी राज्य का निवासी हो । तथापि, अर्ध रायचिंटयों अथवा कम्पिन्की सेवाओं के निरूप फीस के निरूप भूजालन करने वाले व्यक्ति को, वरहे वह किसी एक संपिदाकारणी राज्य का निवासी है अथवा नहीं है, उस संपिदाकारणी राज्य में कोई स्थानी संस्थापन अथवा कोई निरिचन स्थान, जिसके संबंध में रायचिंटयों अथवा कम्पिन्की सेवाओं के निरूप फीस अदा की जाती है और ऐसी रायचिंटयों अथवा कम्पिन्की सेवाओं के निरूप फीस को ऐसे स्थानी संस्थापन अथवा निरिचन स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो ऐसी रायचिंटयों अथवा कम्पिन्की सेवाओं के निरूप फीस के निरूप भूजालन, उस संपिदाकारणी राज्य में उद्भूत हूवा मानता जायगा, जिसमें स्थानी संस्थापन अथवा निरिचन स्थान स्थित है ।

7. अर्ध अदाकर्ता और विहनौगरी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायचिंटयों अथवा कम्पिन्की सेवाओं के निरूप फीस की रकम, रायचिंटयों अथवा कम्पिन्की सेवाओं के निरूप फीस के भूजालन का उपयोग अधिकार अथवा सुझाव को ध्यान में रखते हूए, उस रकम से हू जाती है जिस पर इस प्रकार का संबंध नहीं होने की जागा में अदाकर्ता और

विधेयोंकी स्वामी समझत ही गए होते, वहाँ पर इस क्यूबेड के उपरब केवल अन्तिम वर्गिक रकम पर ही लागू होती । ऐसे मामले में, अधिक अटा की गई रकम इस अस्थिर के अन्ध उपबंधों पर यथोचित ध्यान देते हुए प्रत्येक सविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य होगी ।

अनुबंध 13

1. किसी सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुबंध 6 में उल्लिखित और दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित अवल सम्पत्ति के अन्तर्ग से प्राप्त होने वाले अभिभाषों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. अवल सम्पत्ति में निम्न किसी ऐसी सम्पत्ति के अन्तर्ग से प्राप्त हुए अभिभाषों पर, जो दोनो सविदाकारी राज्यों में से किसी एक सविदाकारी राज्य के किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो दोनो सविदाकारी राज्यों में से किसी एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे सविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से संबंधित अवल सम्पत्ति से निम्न कोई सम्पत्ति हो, जिसे ऐसे किसी स्थायी संस्थापन के अथवा सम्पूर्ण उपग्रह के साधु अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तर्ग से प्राप्त होने वाले अभिभाषों में शामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

3. जब तक कि पैराग्राफ 2 के उपबंध लागू नहीं हों, जब तक किसी कम्पनी, जो दूसरे सविदाकारी राज्य की निवासी हो, के शेयरों के अन्तर्ग से एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अधिक अभिभाषों पर उस दूसरे सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

4. किसी सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्त-राष्ट्रीय यातायात में बनाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्ग से संश्रय ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित अवल सम्पत्ति से निम्न किसी सम्पत्ति के अन्तर्ग से प्राप्त अभिभाषों पर केवल उसी सविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफ 1 में 4 तक में उल्लिखित सम्पत्ति से निम्न किसी सम्पत्ति के अन्तर्ग से प्राप्त अभिभाषों पर केवल उसी सविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा ।

---अनुबंध 14---

1. किसी सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वस्य वाहने अन्ध कार्टेजाने से प्राप्त आय तक तक उसी सविदाकारी राज्य में करायेव होगी, जब तक उसे अपने कार्य-कलाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे सविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो अथवा वह किसी करायेव वर्ष अथवा "पिछले वर्ष" के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए, सेवा भी मांगता ही उस दूसरे सविदाकारी राज्य में नहीं रहता हो । यदि उसके प्राप्त उस दूसरे सविदाकारी राज्य में एक ऐसा निश्चित स्थान है अथवा उक्त अवधि या अवधियों के लिए रहता है, तो वह आय उस दूसरे सविदाकारी राज्य में करायेव होगी परन्तु केवल उसी ही आय करायेव होगी, जो उक्त अवधि अथवा अवधियों के दौरान उस दूसरे सविदाकारी राज्य में उस निश्चित स्थान के कारण

उद्धृत हुई माननी जाती है अथवा प्राप्त होती है ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद के अर्थ-विस्तार में क्रिषेयव्यवस्था संबंधी वैवाहिक, सांख्यिक, कर्मांतरक, नैतिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यक्रमों के साथ-साथ विद्वित्त्वकी, शैक्ष-वैदिकत्वकी, कलात्मिक, कलात्मिक-व्यावसायिक, दूर-वैदिकत्वकी और वैवाहिकत्वकी के संबंधी कार्यवाही शामिल है ।

अनुच्छेद 15

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहने हुए किसी सौविदाकारणी राज्य के किसी निवासी द्वारा नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा किसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस सौविदाकारणी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि नियोजन दूसरे सौविदाकारणी राज्य में नहीं किया गया हो । यदि इस प्रकार का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे सौविदाकारणी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. धैराशाप । के उपबंधों के होते हुए भी, किसी सौविदाकारणी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सौविदाकारणी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमनिर्दिष्ट राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

[क] प्राप्तकर्ता किसी करोहेय कर्ष अथवा "दूरवर्ती कर्ष" सेवा भी प्राप्त करता है, के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे सौविदाकारणी राज्य में मौजूद रहा हो ;

[ख] पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से

करा किया जाता है, जो उस दूसरे सौविदाकारणी राज्य का निवासी नहीं है ; और

[ग] पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निरिधन स्थान से वहां नहीं किया गया हो, जो नियोजक के दूसरे सौविदाकारणी राज्य में है ।

3. धैराशाप । और 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी सौविदाकारणी राज्य के किसी उधम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में किसी जनमान अथवा वायुमान पर स्वार होकर उसके परिवहन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी सौविदाकारणी राज्य में लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 16

किसी सौविदाकारणी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कम्पनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की हैसियत में, जो दूसरे सौविदाकारणी राज्य का एक निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस और अन्य समस्त अदायगीयों पर उस दूसरे सौविदाकारणी राज्य में कर लगाया ।

अनुच्छेद 17

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी सौविदाकारणी राज्य का निवासी है, मनोरंजनकर्ता के रूप में जैसे थियेटर, कनिवॉ, रेडियो अथवा दूरदर्शन

कलाकार, और किसी संगीतकार या किसी थियेाट्री के रूप में, दूसरे सौविदाकारों के साथ में इस प्रकार सम्पन्न किए गए अपने व्यक्तित्व का फलदायी से प्राप्त आय पर उस दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर लगा संभोग ।

तथापि, ऐसी आय पर उस दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि ऐसे कार्यक्रमों में किसी व्यक्ति द्वारा, जो प्रदर्शनस्थल सौविदाकारी राज्य का निवासी है, दो सौविदा-कारी राज्यों की सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए स्वीकृत किसी विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत में किए जाते हैं ।

2. और किसी मनोरंजकता अथवा किसी थियेाट्री द्वारा अपनी उस तरह की वैश्वयत्न से किए गए व्यक्तित्व कार्यक्रमों से उद्भूत आय स्वयं उस मनोरंजकता अथवा थियेाट्री को प्रोद्भूत नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, जो दूसरे सौविदाकारी राज्य का निवासी है, तो अनुबंध 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस आय पर कर प्रयोजनस्थल सौविदाकारी राज्य में लगा संभोग ।

तथापि, ऐसी आय पर उस प्रयोजनस्थल सौविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि ऐसे कार्यक्रमों दो सौविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए स्वीकृत एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत में किए जाते हैं ।

अनुबंध 18

अनुबंध 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अन्वयेन एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को विगत में निपुज्ज के प्रतिफल

के रूप में प्रदत्त भौतकों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिकों पर कर केवल उस सौविदाकारी राज्य में लगेगा ।

अनुबंध 19

1. कौं किसी सौविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजकीयक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस सौविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजकीयक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए स्वीकृत किसी कार्यक्रम के अंतर्गत में किए जाते हैं ।

2. तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर केवल उस स्थिति में लगा संभोग, यदि केवल उस दूसरे सौविदाकारी राज्य में ही जाती है और वह व्यक्ति उस दूसरे सौविदा-कारी राज्य का निवासी है, जो:

कौं उस दूसरे सौविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक है ; अथवा
 कौं केवल सम्पन्न करने के प्रयोजनों केवल उस दूसरे सौविदा-कारी राज्य का निवासी नहीं बना ।

2. कौं किसी सौविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजकीयक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस सौविदाकारी राज्य, अथवा उसके किसी राजकीयक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए सम्पन्न की गई सेवाओं के फलदायी से प्राप्त आय पर कर नहीं लगा संभोग ।

निरपेक्ष आदान किया जाता है, अर्थात् की गई किसी ध्यान पर उस शीविदाकारणी राज्य में ही कर लगा संभोगा ।

इस तथ्याधि, ऐसी ध्यान पर केवल उस दूसरे शीविदाकारणी राज्य में कर उस स्थिति में लगेगा, यदि व्यक्ति उस दूसरे शीविदाकारणी राज्य का निवासी बना राष्ट्रिक है ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपलब्ध किसी शीविदाकारणी राज्यअथवाउसकेकिसीराजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाय गए किसी कारोबार के संबद्ध में सम्पत्ति की गई संभावों के निरपेक्ष प्राप्ति अधिक और ध्यान पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद 20

किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रविष्ट को, जो एक शीविदाकारणी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे शीविदाकारणी राज्य का निवासी है अथवा या तब जो प्रभाषिन्नीयित शीविदाकारणी राज्य से केवल अपने अनुदान, शिक्षा अथवा प्रविष्टता के प्रयोजनार्थ प्राप्ति अर्थात्प्रयोग पर उस प्रभाषिन्नीयित शीविदाकारणी राज्य के कर से छूट प्राप्त होंगी, व्यक्त कि ऐसी अर्थात्प्रयोग उसे उस प्रभाषिन्नीयित शीविदाकारणी राज्य के बाहर से की जाती है ।

अनुच्छेद 21

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो किसी विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में अध्यापन अथवा अनुसंधान के प्रयोजनार्थ दी गई से अधिक की अवधि के निरपेक्ष किसी शीविदाकारणी राज्य में अर्थात्प्रयोग रख से दौरा करता है,

तब जो इस तरह के दौरे के तत्काल पूर्व उस दूसरे शीविदाकारणी राज्य का निवासी है अथवा या, तो इस प्रकार के अध्यापन अथवा अनुसंधान के निरपेक्ष प्राप्ति अधिक के संबद्ध में केवल उस दूसरे शीविदाकारणी राज्य में कर लगा संभोगा ।

2. यह अनुच्छेद उस अनुसंधान कार्य से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होगी, यदि ऐसा अनुसंधान कार्य सार्वजनिक विद्यालय में नहीं किया जाता है किन्तु मुक्त: वह कार्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत-निर्देश के निजी माध्य के निरपेक्ष किया जाता है ।

अनुच्छेद 22

1. किसी शीविदाकारणी राज्य के किसी निवासी की आय की मात्रा पर, जहाँ कहीं वे उत्पन्न होती हों, इस अधिसूचना के पूर्वकी अनुच्छेदों में जिन पर विचार नहीं किया गया हो, केवल उस शीविदाकारणी राज्य में कर लगेगा ।

2. धैराग्राम 1 के उपलब्ध, अनुच्छेद 6 के धैराग्राम 2 में

यथा-परिभाषित अथवा सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय से निम्न आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय को प्राप्त करने वाला, किसी शीविदाकारणी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे शीविदाकारणी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस शीविदाकारणी राज्य में व्यापार करता है अथवा उस दूसरे शीविदाकारणी राज्य में व्यक्त किसी निरिचल स्थान से स्वतंत्र वैचिकरक सेवाएं निरूपण करता है और जिन अधिकार अथवा संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय की अर्थात्प्रयोग करता है, वह अधिकार अथवा

सम्पत्ति ऐसे रखायी संरक्षण अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संक्षिप्त है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध, 'भेदा' श्री मामला ही, लागू होंगे।

30. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, सौदेहकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर, जिस पर इस अधिसूचना के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, और जो दूसरे सौदेहकारी राज्य से उद्भूत होती है, दूसरे सौदेहकारी राज्य में कर नहींगा।

अनुच्छेद 23

10. दोनों सौदेहकारी राज्यों में प्रचलित कागज अना-अना सौदेहकारी राज्यों में आय के कटाक्षण को निर्धारित करने रहने सिवाय उन मामलों के जहाँ पर इसके विपरीत स्पष्ट उपबंध इस अधिसूचना में दिए गए हों।

20. भारत के मामले में दोहरे कटाक्षण का स्थान प्रकार से परिहार किया जाएगा :

।क। जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार जापान में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में भारत उस निवासी को उस आय पर कर से कटौती की अनुमति उतनी तक के बावजूद देगा, जिसकी रकम की अंदाजी जापान में जापानी कर के नियम की गई हो, बावजूद वह प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो अथवा कटौती के द्वारा दिया गया हो। किन्तु

दोनों, मामलों में ऐसी कटौती की मात्रा बायकार्ड कटौती दिए जाने से पूर्व व्यापारिक गति के उतनी भाग से अधिक नहीं होगी, जो व्यय स्थिति उस आय के कारण उत्पन्न हुई हो, जिस पर जापान में कर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ देश निवासी एक कम्पनी है, जिसके माध्यम से भारत में अधिकतम देय करता हो, वह जापान में क्या नियम बायकार्ड के संबंध में कटौती की अनुमति प्राप्तता उस कम्पनी द्वारा भारत में देय आय-कर से देगा और शेष रकम पर, यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में देय अधिकतम की अनुमति देगा।

।क। जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अधिसूचना के उपबंधों के अन्वयित करण जापान में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में भारत इस आय को कर बाधक में शामिल करनेग नोकर, बायकार्ड में से बायकार्ड के उतनी भाग की कटौती, 'भेदा' श्री मामला ही, की अनुमति देगा जो जापान में उद्भूत हुई आय के कारण बनता हो।

30. जापानी कर को मद्देन रखते हुए जापान में स्थित किसी अन्य देश में देय कर पर कटौति के रूप में उतने जहाँ में जापान के कानूनों के अन्वयित रहते हुए :

।क। जहाँ जापान का कोई निवासी भारत में आय प्राप्त करता है, जिस पर इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में उस आय के संबंध में देय भारतीय कर की राशि उस निवासी पर लगाय गए

जापानी कर की माथा के अनुसार क्रेडिट के रूप में अनुमत्त होगी तथापि क्रेडिट की वह रकम जापानी कर के उस भाग में कटिक्त नहीं होगी, जो उस आय के लिए स्मृचित हो ।

§ 74 अर्ध भारत से प्राप्त आय किसी कम्पनी द्वारा, जो कि भारत की निवासी है, एक ऐसी कम्पनी को जो जापान की निवासी है, और जिसके पास लाभांश बंटा करने वाली कम्पनी के वोटिंग शेयर के 25% के अधून भाग का अंश उस कम्पनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों का स्वामित्व है, बंटा किया गया एक लाभांश हो, उस स्थिति में उस क्रेडिट को कम्पनी आय के संबंध में लाभांश अंटा करने वाली कम्पनी द्वारा देय भारतीय कर के विभाज्य में लिया जाएगा ।

§ 75 उभर उप-धाराओं के, और § 74 में उल्लिखित क्रेडिट के प्रयोजनार्थ करदाता द्वारा उस रकम को अंटा किया गया माना जाएगा, जिसकी अंटापनी भारत के कायन के अधीन और इस अधिसूच्य के अनुसार भारतीय कर के रूप में उस स्थिति में की गई होगी, यदि अंटा किए गए उस भारतीय कर को इस अधिसूच्य पर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू तथा भारत में जारी किए गए के लिए निर्धारित किए गए विभिन्न प्रोत्साहन कार्य के उपर्यो के अनुसार बंटाया नहीं गया हो अथवा उनसे राहत नहीं दी गई हो, अथवा जिन्हें मौजूदा उपर्यो के संशोधन में अंटा उनके अतिरिक्त उपर्यो में भारतीय कर कायनों में अधिक्य में लागू किया जा सकता हो मानें कि उनसे उपर्यो के अधीन करदाता को दिए गए लाभों के कटिक्त के संबंध में दोनों

सकारों के बीच कोई करार सम्पन्न किया गया हो ।

अनुच्छेद 24

1. एक संचिदाकारी राज्य के राष्ट्रिद्वों पर दूसरे संचिदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा लक्ष्यही भेदी कोई अर्थो भाग नहीं की जायगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अर्थोकारों से भिन्न अथवा भारपूर्ण हो, जो दूसरे संचिदाकारी राज्य के राष्ट्रिद्वों पर स्थापन परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होने हुए भी यह उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संचिदाकारी राज्यों में से किसी एक संचिदाकारी राज्य के अथवा दोनों संचिदाकारी राज्यों के निवासी नहीं है ।

2. एक संचिदाकारी राज्य के किसी उपभ के दूसरे संचिदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायीसंस्थापन पर लगाया जाने जाना कर उस दूसरे संचिदाकारी राज्य में उस कर से अर्थोकरत कम अङ्कन नहीं होगा, जो उस दूसरे संचिदाकारी राज्य में स्थापन कार्य-कायनों में जो हुए उपभों पर लगाया जाता है ।

इस उपबंध में निहित किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगायाजायगा कि एक संचिदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को, जो दूसरे संचिदाकारी राज्य के निवासी है, नागरिक स्थित्य अथवा पारिवारिक उत्तराधिकारों के कारण कराधान के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रकार की व्यतिरिक्तता छूट, राक्षों और बंटोलियों प्रदान करने को बाध्य होगा, जो वह अपने स्वयं के निवासियों को प्रदान

करता है ।

3. अनुबंध 9 के उपबंध, अनुबंध 11 के पैराग्राफ 8 अथवा अनुबंध 12 के पैराग्राफ 7 के उपबंध अंतर्गत लागू होने हैं उनको छोड़कर एक सीविदाकारों राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे सीविदाकारों राज्य के किसी निवासी को ऐसे उद्यम के कर्तव्य लागू का परिष्कार करने के प्रयोजनार्थ अथवा किन्तु गांधी व्याप, रटफिन्टवो तथा अन्य मूलानों को उन स्थान परिस्थितियों के तहत कटौती योग्य माना जाएगा, यदि उनकी अदालती प्रमाणित किया सीविदाकारों राज्य के किसी निवासी को की गई हो ।

4. एक सीविदाकारों राज्य के उद्यमों पर जिम्मेदारी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे सीविदाकारों राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रमाणित किया सीविदाकारों राज्य में कोई ऐसा कर्तव्य अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी शर्त लागू नहीं की जाएगी जो उस कर्तव्य और तत्संबंधी शर्तों से निम्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रमाणित किया राज्य के अन्य किसी तरह के उद्यमों पर लागू होती है अथवा हो सकती है ।

5. इस अनुबंध में "कर्तव्य" शब्द से तात्पर्य उन कार्यो से है जो इस अधिनियम के विषय है ।

अनुबंध 25

1. अर्ध कोई व्यक्ति यह स्थापना है कि एक अथवा दोनो सीविदाकारों राज्यो के कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है

अथवा लागू जाएगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो वह उन सीविदाकारों राज्यो के धरोहर नियमों द्वारा उपबंधित उपचारों उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस सीविदाकारों राज्य के स्थान प्राधिकारों के साथ रख सकता है जिसका वह निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुबंध 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है, तो वह अपना मामला उस सीविदाकारों राज्य के स्थान प्राधिकारों को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्य को प्रमाणित किया के तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर नहीं लगा है ।

2. यदि स्थान प्राधिकारों को जापानित उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी शीतोष्णक हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कर्तव्य के निवारण की दृष्टि से, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है, दूसरे सीविदाकारों राज्य के स्थान प्राधिकारों को परस्पर सहायता द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । प्राप्ति हुए किसी भी समझौते को किसी तरह की सहायता पर ध्यान न देने हुए सीविदाकारों राज्यो के धरोहर कानूनों के तहत, कार्यनिष्ठ किया जाएगा ।

3. इस अधिनियम की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाई अथवा शंका उत्पन्न हो, तो सीविदाकारों राज्यो के स्थान प्राधिकारों उन्हें परास्परिक सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में दोहरे कर्तव्य के अन्तर्गत के नियम परस्पर विवादा-विमर्श कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में नहीं की गई है ।

4. सीवदाकारी राज्यों के मध्य प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लेख अभिप्राय को लेकर सक्षमता के प्रयोजनार्थ एक दूसरे के साथ प्रत्यक्षतः पत्र-व्यवहार कर सकते हैं ।

अनुच्छेद 26

सीवदाकारी राज्यों के मध्य प्राधिकारी ऐसी सुचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों के अर्न्तगत आने वाले कर्मों से संबंधित, अर्थात् तब तक उसके अर्न्तगत कराधान इस अभिसमय के उपबंधों के प्रतिफल नहीं है, इस अभिसमय के अथवा सीवदाकारी राज्योंकेसंबंध कावनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने अथवा राजस्व कवर्धन को रोकने के लिए अथवा ऐसे कर्मों की जानकारी को रोकने के लिए आवश्यक है । इस तरह से आदान-प्रदान की गई किसी भी सुचना को गोपनीय समझा जाएगा और इसे इस अभिसमय में स्थापित कर्मों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली अथवा उनको लागू करने अथवा उनको बारे में अभियोजन संबंधी कार्रवाई करने में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने में को रूप व्यक्तित्वों अथवा प्राधिकारियों, जिसमें न्यायालय भी शामिल है, को ही प्रकट किया जाएगा ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जिससे कि किसी सीवदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डाला जाए :

1. एक अथवा दूसरे सीवदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रणाली से हटकर प्रशासनिक उपचार करना ;
2. ऐसी सुचना देना जो एक अथवा दूसरे सीवदाकारी राज्य

की विधियों के अर्न्तगत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त हो सकती है ; अथवा

2. ऐसी सुचना देना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा उद्योग संबंधी गुप्त-वेद अथवा व्यापारिक प्रतियोगिता अथवा सुचना प्रकट होती है, जिससे प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिफल ही ।

अनुच्छेद 27

अन्तरराष्ट्रीय विविध के सामान्य नियमों के अर्न्तगत अथवा विशेष कारणों के प्रावधानों के अर्न्तगत इस अभिसमय के कारण राजकीय अधिकारियों अथवा कौशल अधिकारियों के विदेशीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद 28

1. इस अभिसमय को यथासंभव शीघ्र टीकियों पर अनुमोदित किया जाएगा और अनुमोदन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाएगा ।

2. यह अभिसमय अनुमोदन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख के पचास 30वें दिन को लागू होगा और हस्ता निम्नांकित प्रभाव होगा :

§ 68. जापान में :

पिस कैम्पेण्डर वर्ष में यह अधिसूच्य प्रवर्तित होता है उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी करारक्षेप वर्ष के लिए प्राप्ता आय के संबंध में ; और

§ 69. भारत में :

जिस कैम्पेण्डर वर्ष में यह अधिसूच्य प्रवर्तित होता है उसके परवर्ती वर्ष के अंतिम मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" के लिए प्राप्ता आय के संबंध में ।

3. आय पर कर के संबंध में दी हुई कटाधान के निवारण के लिए दिनांक 5 जनवरी, 1960 को नई दिवसी में जापान और भारत के बीच हस्ताक्षरित हवा करार उस आय के संबंध में समाप्त होने के साथ-साथ निरुपशाची भी ही जापान, जिसके बारे में यह अधिसूच्य धाराप्रा 2 के उपबंधों के अधीन लागू होता है ।

अनुच्छेद 29

यह अधिसूच्य अधिनियम कानून तब लागू होगा लेकिन दोनों

प्रतिदाकारणी राज्यों में से कोई भी प्रतिदाकारणी राज्य इसके बाध होने की तारीख से पूर्ववर्ती की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी भी कैम्पेण्डर वर्ष के जो मास के 30वें दिन को अथवा उससे पहले राजनयिक माध्यमों से दूसरे प्रतिदाकारणी राज्य को इसकी समाप्ति का

निश्चित रूप में नोटिस दे सकेगा और देसी स्थिति में यह अधिसूच्य निम्ननिश्चित के लिए निरुपशाची हो जाएगा :

§ 70. जापान में :

पिस कैम्पेण्डर वर्ष में अधिसूच्य की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी करारक्षेप वर्ष के लिए प्राप्ता आय के संबंध में ; और

§ 71. भारत में :

जिस कैम्पेण्डर वर्ष में अधिसूच्य की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के अंतिम के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" के लिए प्राप्ता आय के संबंध में ।

जिसके साथ में इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिकृत प्राधिकृत अथवा हस्ताक्षरकर्तव्यों ने इस अधिसूच्य पर हस्ताक्षर किए हैं ।

सन् एक हजार नौ सौ नवमानी के

मार्च मास के मातहत दिन को नई दिल्ली

में जापानी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दी-दो प्रतियों में

निष्पन्न किया गया, जिसके तीनों पाठ समानतः प्रामाणिक

है । बर्हिन्पण्य में किसी प्रकार की भिन्नता के मामले में

कीर्ती पटल की प्रभावी शीर्षक ।

जापान की सरकार
की शीर्षक

Eljiro Noda

भारत गणराज्य की
सरकार की शीर्षक

G.N. Gupta

(参考)

この条約は、我が国とインドとの間で所得に対する租税の関する二重課税の回避及び脱税の防止のために締結されたものである。